

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र खुडासा
प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. भीखाराम पुत्र अमराराम
2. आम्बाराम पुत्र अमराराम
3. डालूराम पुत्र अमराराम
4. शेराराम पुत्र अमरारा
5. अनाराम पुत्र अमराराम

जातियान जाट निवासीयान मायलो
का डेर (खुडासा) तहसील एवं जिला
बाड़मेर।

1. हनुमानराम पुत्र देवाराम
 2. पूराराम पुत्र देवाराम
 3. जोगाराम पुत्र देवाराम
 4. घमण्डाराम पुत्र देवाराम
 5. गेरो देवी पत्नी देवाराम
 6. पन्नाराम पुत्र मूलाराम
 7. करनाराम पुत्र मूलाराम
 8. हनुमानराम पुत्र मूलाराम
 9. वगताराम पुत्र मूलाराम
 10. बालाराम पुत्र मूलाराम
 11. अर्जुनराम पुत्र शम्भूराम
 12. भंबराराम पुत्र विरधाराम
 13. पेमाराम पुत्र विरधाराम
 14. खरथाराम पुत्र भारूराम
 15. प्रहलादराम पुत्र भारूराम
 16. नानगाराम पुत्र भारूराम
 17. मीरो पत्नि भारूराम
 18. हनुमानराम पुत्र पोकरराम
 19. बावुराम पुत्र पोकरराम
 20. जोगाराम पुत्र पोकरराम
 21. धनी पत्नि पोकरराम
 22. भूराराम पुत्र हुकमाराम
 23. हनुमानराम पुत्र हुकमाराम
 24. श्रीमों पत्नि हुकमाराम
- जातियान जाट निवासीयान मायलो का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-161/2021 दिनांक-09.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मायलो का डेर पटवार हलका खुडासा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 264 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 309/265 रकबा 114.00 बीघा किस्म बारानी दोयम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकदमा कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 09/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6555-6550

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खुडासा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भीखाराम पुत्र अमराराम वगैरह जाति जाट निवासी मायलो का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हनुमानराम पुत्र देवाराम वगैरह जाति जाट निवासी मायलो का डेर (खुडासा) तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर